जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी-904 दिनांक: 29-7-08

-:कार्यवाही विवरण:-

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 47 वी बैठक दिनांक: 25.7.08 को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं	जोन	प्रस्ताव सं0	विषय	निर्णय
1.		47:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 46वी बैठक दिनांक: 26.04.08 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 46वी बैठक दिनांक: 26.4.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	1	47:2	भूखण्ड संख्या डी-709, मालवीय नगर में आवंटित क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज से बढकर 328.61 वर्गगज अर्थात् 17.5 वर्गगज अधिक क्षेत्रफल का आवंटन बाबत।	भूखण्ड संख्या डी-709, मालवीय नगर में आवंटित क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज से बढे हुए 17.5 वर्गगज क्षेत्रफल को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
3.	1	47:3	विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर योजना में भूमि आवंटन हेतु	इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 में सुरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन की स्वीकृति दी गई थी। चूंकि अब लगभग 18 वर्ष हो चुके है अत: राज्य सरकार से मौके पर उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए दर की पुन: स्वीकृति प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही की जावे।
4.	9	47:4	भूखण्ड संख्या ई-50 कार्नर बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन बाबत।	श्री कैलाश चंद मोदानी को आवंटित भूखण्ड ई-50 कार्नर सैन्ट्रल स्पाइन, जीरोता के बढे हुए क्षेत्रफल 25.50 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2/9

				आवंटित किया जावे।
5.	12	47:5	श्री बागडा ब्राहम्ण समाज संगठन समिति जयपुर (राज.) को भूमि आवंटन के संबंध में।	समाज द्वारा जिस प्रयोजन हेतु भूमि चाही गई है, उसके भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों के संबंध में उपायुक्त जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस-किस समाज को कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है। इसकी सूचना अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) समस्त उपायुक्तगण से संकलित कर प्रस्तुत करें।
6.	12	47:6	कॉर्नर भूखण्ड संख्या सी-24 बिन्दायका आवासीय योजना में बढे हुए क्षेत्रफल की राशि बाबत।	श्री झाबर सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-24 कार्नर बिन्दायका आवासीय योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 65.50 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
7.	12	47:7	नगर निगम जयपुर को ग्राम सेवापुरा तहसील आमेर में कम्पोस्ट प्लांट हेतु आवंटित की गई भूमि के खसरा नम्बरों में खसरा नम्बर 171 शामिल कर संशोधन बाबत।	जोन के प्रस्तावानुसार नगर निगम, जयपुर को कम्पोस्ट प्लांट हेतु आवंटित की गई भूमि में खसरा नम्बर 171 को भी सम्मिलित किया जाता है। खसरा नम्बर 171 को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल 33.29 हैक्टेयर होगा। तद्नुसार भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 38 वी बैठक दिनांक 29.5.07 के निर्णय संख्या 38:9 को संशोधित किया जाता है।
8.	12	47:8	भूखण्ड संख्या 24, मूर्तिकला योजना में बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	श्री मनोहर लाल शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या 24 मूर्तिकला योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 26.25 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
9.	12	47:9	भूखण्ड संख्या सी-95, हाथोज समूह आवासीय योजना में बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को भूखण्ड संख्या सी-95 के स्थान पर इस योजना में उसी क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटित करें। यदि 162 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में इस भूखण्ड की मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण पुन: आगामी बैठक में रखे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3/9

10.	6	47:10	श्री राधेश्याम सोनी को भू.सं. ए-134 मुरलीपुरा योजना में आवास गृह आवंटन हेतु।	उपायुक्त जोन इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या श्री राधेश्याम सोनी बाढ प्रभावित थे एवं श्री राधेश्याम सोनी एवं उनके परिवार ने कितने मकानों पर कब्जा किया। श्री राधेश्याम सोनी के अतिरिक्त श्री मूलचंद सोनी एवं निर्मला देवी पत्नी मेवा राम के प्रकरण का भी परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि ये प्रकरण क्या समान प्रकृति के है। विस्तृत जांच के पश्चात् आयुक्त महोदय से स्वीकृति लेकर प्रकरण अगली बैठक में पुनः रखा जावे।
11.	6	47:11	लोहामण्डी में सृजित भवन निमार्ण योजना में हार्डवेयर एसोसियेशन के कार्यालय को आवंटित भूमि 300.00 व.मी. भूमि पर स्थगन होने के कारण उसके स्थान पर 247.00 व.मी. भूमि।	लोहा मंडी से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भूमि आवंटन का प्रकरण स्थगित किया जाता है।
12.	6	47:12	श्री मूलचन्द सोनी पुत्र श्री मेवाराम को भू.सं. ए-327 मुरलीपुरा योजना में आवास गृह आवंटन हेतु।	उपायुक्त जोन इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या श्री मूलचंद सोनी बाढ प्रभावित थे एवं श्री मूलचंद सोनी एवं उनके परिवार ने कितने मकानों पर कब्जा किया। श्री मूलचंद सोनी के अतिरिक्त श्री राधेश्याम सोनी एवं निर्मला देवी पत्नी मेवा राम के प्रकरणों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि ये प्रकरण क्या समान प्रकृति के है। विस्तृत जांच के पश्चात् आयुक्त महोदय से स्वीकृति लेकर प्रकरण अगली बैठक में पुनः रखा जावे।
13.	7	47:13	सेंट थॉमस आर्थेडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी को ग्राम गिरधारीपुरा खसरा न. 57 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आवंटित 4000 वर्ग गज भूमि के स्थान पर मौके पर उपलब्ध भूमि 5001. 68 वर्ग गज के आवंटन के संबंध में।	चूंकि इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा 4000 वर्गगज भूमि आवंटित की गई है। अतः जोन उपायुक्त पत्रावली को निदेशक (आयोजना) को भेजकर उपलब्ध भूमि में से 4000 वर्गगज भूमि का डिमार्केशन करवाये एवं तद्नुसार 4000 वर्गगज भूमि आवंटित की जावे। यदि डिमार्केशन के पश्चात् अतिरिक्त भूमि का कोई स्वतन्त्र उपयोग संभव नहीं हो तो प्रकरण पुनः एल.पी.सी. की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
14.	7	47:14	रघुराज एकेडमी शिक्षा समिति को गोविन्दपुरा करधनी योजना के ई ब्लॉक में स्कूल भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	रघुराज एकेडमी शिक्षा समिति को आवंटन हेतु जोन उपायुक्त वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव तैयार कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4/9

15.	1	47:15	मालवीय नगर योजना के अवार्डियों को पारित अवार्ड के अनुसार 250 वर्गगज एवं इससे अधिक की सीमा का भूखण्ड आवंटन एवं नियमन के क्रम में।	मालवीय नगर योजना के अवार्डियों को पारित अवार्ड के संबंध में जोन उपायुक्त विस्तृत जांच एवं सर्वे कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कुल कितने मूल अवार्डीज थे उनमें से किस-किस अवार्डिज को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है एवं किन-किन को भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये है। जिन अवार्डिज को भूखण्ड आवंटित किये गये है उनके पास आवंटित भूमि के अतिरिक्त कितनी भूमि है एवं जिन व्यक्तियों द्वारा स्वयं को अवार्डिज का वारिस बताते हुए भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, उनका अवार्डिज से क्या संबंध है। इन बिन्दुओं की जांच कर पत्रावली आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जावे। इसके अतिरिक्त जिन अवार्डियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि आवंटित की गई है, उनकी भी सूचना प्राप्त की जावे।
16.	9	47:16	रेलवे ओवरब्रिज 200 फीट महल रोड के विस्थापितों को आवंटित व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्डों का अनुमोदन करने बाबत।	रेलवे ओवर ब्रिज एवं 200 फीट महल रोड के विस्थापितों के संबंध में कार्यकारी समिति के निर्णयों एवं ऑथोरिटी के निर्णय के अनुसार उपायुक्त द्वारा जिन हितकारी व्यक्तियों को आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित किये गये है, उसका अनुमोदन किया जाता है एवं यह निर्देश दिये गये कि अन्य अवशेष व्यक्तियों को भी कार्यकारी समिति/ऑथोरिटी के निर्णय के अनुसार आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित कर इसका अनुमोदन एलपीसी की बैठक में करवाया जावे।
17.	9	47:17	भूखण्ड संख्या-18बी, सत्य कॉलोनी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) सड़क क्षेत्र में होने बाबत।	प्रार्थी को पालडी मीणा योजना में 50 वर्गगज का एक भूखण्ड क्षतिपूर्ति के रूप में आवंटित किया जावे, लेकिन यह आवंटन अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपवादस्वरूप लिया गया है। जो अन्य प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5/9

<table>
<tr><td>18.</td><td>11</td><td>47:18</td><td>पार्थ नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-205, ए-206, ए-301, ए-302, ए-303, ए-304, ए-305, ए-306, ए-307, ए-308, ए-310 के बढ़े हुए क्षेत्रफल की आवंटन दर तय करने बाबत्।</td><td>पार्थ नगर योजना के निम्न भूखण्डोंा में बढे गये क्षेत्रफल को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>भूखण्ड संख्या</th><th>आवंटित क्षेत्रफल व.मी.</th><th>मौका रिपोर्ट के अनुसार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल व.मी.</th><th>कुल क्षेत्रफल व. मी.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ए-205</td><td>120</td><td>7.31</td><td>127.31</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ए-206</td><td>120</td><td>12.47</td><td>132.47</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ए-301</td><td>162</td><td>30.39</td><td>192.39</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ए-302</td><td>162</td><td>2.02</td><td>164.02</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ए-303</td><td>162</td><td>3.37</td><td>165.37</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>ए-304</td><td>162</td><td>4.72</td><td>166.72</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>ए-305</td><td>162</td><td>5.85</td><td>167.85</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>ए-306</td><td>162</td><td>6.97</td><td>168.97</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>ए-307</td><td>162</td><td>8.10</td><td>170.10</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>ए-308</td><td>162</td><td>9</td><td>171</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>ए-310</td><td>162</td><td>6.75</td><td>168.75</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>12</td><td>47:19</td><td>भूखण्ड सं. सी-203 आनंद लोक योजना के बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि वसूल किये जाने बाबत सक्षम स्वीकृति हेतु।</td><td>श्रीमति कृष्णा देवी भूखमारिया को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-203 आनंदलोक योजना में इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड जो 162 वर्गमीटर का हो, आवंटित किया जावे।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>12</td><td>47:20</td><td>थाना चौमू के अन्तर्गत जैतपुरा क्षेत्र में पुलिस चौकी हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।</td><td>पुलिस चौकी जैतपुरा थाना चौमू हेतु खसरा नम्बर 1983/2689 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क आवंटित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावे।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>12</td><td>47:21</td><td>भूखण्ड संख्या सी-128, हाथोज समूह आवासीय योजना में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।</td><td>श्री बंसीलाल को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-128 हाथोज समूह आवासीय योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>12</td><td>47:22</td><td>भूखण्ड संख्या सी-129, हाथोज समूह आवासीय योजना में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।</td><td>श्रीमति मीनाक्षी मल्होत्रा को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-129 हाथोज समूह आवासीय योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>12</td><td>47:23</td><td>भूखण्ड संख्या 38, मूर्तिकला योजना में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।</td><td>श्री देवकीनंदन पांडे को आवंटित भूखण्ड संख्या 38 आनंदलोक योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 24.37 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।</td></tr>
</table>

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
...पुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6/9

24.	12	47:24	भूखण्ड संख्या 36, मूर्तिकला योजना में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	श्री विनोद कुमार शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या 36 मूर्तिकला योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 46.88 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
25.	12	47:25	ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के ख.नं. 594/2 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि फल-सब्जी एवं फूल गौण मण्डी यार्ड के लिये भूमि आवंटन/आरक्षित करने बाबत।	ग्राम जमवारामगढ के खसरा नम्बर 594/2 रकबा 32बीघा 18बिस्वा में से 10 बीघा भूमि फल-सब्जी एवं फूल गौण मंडी यार्ड के लिए आरक्षित की जावे। इस भूमि का आवंटन भू-उपयोग परिवर्तित के पश्चात् संस्थानिक आरक्षित दर पर किया जावे।
26.	8	47:26 (अतिरिक्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविंदपुरा/सांगानेर में सर्किल पर सृजित दुकानों में से नीलामी द्वारा विक्रय की गई दुकान संख्या 34 के स्थान/मौके पर मंदिर निर्माण होने के कारण एलपीसी में दुकान संख्या 34 के स्थान पर अन्य दुकान सं0 2 विनिमय में आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन उक्त दुकान भी योजना से गुजर रहे नाले के क्षेत्र में आने के कारण अन्य दुकान विनिमय में आवंटन किये जाने बाबत।	श्री उमेश कुमार गुप्ता को दुकान संख्या 34 के स्थान पर दुकान संख्या 8 कॉर्नर आवंटित की जावे। क्योंकि अन्य दुकाने मौके पर नाले/खड्डै में है।
27.	12	47:27 (अतिरिक्त)	भूखण्ड संख्या 80, मूर्तिकला योजना में बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	श्री गोविन्द तिवाडी को आवंटित भूखण्ड संख्या 80 मूर्तिकला योजना के बढे हुए क्षेत्रफल 67.50 वर्गमीटर को Strip of land मानते हुए, आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी राशि लेकर आवंटित किया जावे।
28.	9	47:28 (अतिरिक्त)	श्री टहल राम आहुजा, स्वतंत्रता सेनानी, निवासी 25/1323, कमल कुटिर, ईसाई मोहल्ला, अजमेर को प्राधिकरण की रामनगरिया विस्तार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी-84 क्षेत्रफल 171.00 व.मी. का आवंटन निरस्त करने बाबत।	श्री टहल राम आहुजा, स्वतन्त्रता सेनानी को आवंटित भूखण्ड संख्या बी-84 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावे एवं लीज डीड आदि निरस्त कराने की तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जावे।

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

29.	5	47:29 (अतिरिक्त)	जैन विश्व भारती लाडनू को जयपुर में विद्यालय भूमि हेतु ज्ञान विहार योजना (गोविन्द गृ0नि0स0स0) अजमेर रोड के सुविधा क्षेत्र में वर्ष 92 में आवंटित की गई भूमि 1787. 46 वर्गगज का कब्जा दिलवाने व 5958.48 वर्गगज का कब्जा का पट्टा विलेख जारी करने की स्वीकृति बाबत।	राज्य सरकार से दिनांक 15.6.94 को प्राप्त स्वीकृति को मद्देनजर रखते हुए अवशेष 1787.46 वर्गगज भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जावे एवं समस्त आवंटित भूमि 5958.48 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया जावे।
30.	1	47:30 (अतिरिक्त)	पाथेय कण संस्थान को मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल लगभग 1485 वर्गमीटर कार्यालय भवन हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	पाथेय कण संस्थान को मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 1485 वर्गमीटर संस्थानिक दर पर नियमानुसार आवंटित की जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में Strip of land के प्रकरणों में एजेण्डा के साथ Site plan संलग्न किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

29/07/2008

प्रति सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं विधायक (जौहरी बाजार), जयपुर।
2- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, जविप्रा, जयपुर
3- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी एवं संसदीय सचिव
4- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
5- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
6- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
7- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
8- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
9- प्रो0 बीरू सिंह राठौड, विधायक, बनीपार्क
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8/9

14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
25- रक्षित पत्रावली

29/07/2008

संयुक्त सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ठ-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति-पत्रक

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 47वीं बैठक दिनांक 25.07.08 में उपस्थित रहे। जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

क.सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अशोक जैन, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री राम निवास मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री कोमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री बी0के0 दोसी, अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
7.	श्री महेन्द्र सोनी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
9.	श्री हरिशंकर भारद्वाज, अति. आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
10.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमन्त्रित
11.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री बी.डी.कुमावत, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमन्त्रित
13.	श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमन्त्रित
14.	श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमन्त्रित
15.	श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमन्त्रित
16.	श्री आकाश तोमर, उपायुक्त जोन 11	विशेष आमन्त्रित
17.	श्री एम.एल.गुप्ता, अति.निदेशक (भूमि एवं राजस्व)	विशेष आमन्त्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर